न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2454–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील भानपुरा जिला मंदसौर म0प्र0 प्रकरण कमांक 2/अ–13/2013–14.

1. अरूण कुमार पिता मथुरालाल भाना
2. श्रीमती शीला पति अरूण कुमार भाना
   निवासी ग्राम भानपुरा जिला मंदसौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

राजीबाई विधवा नंदकिशोर नाई
निवासी ग्राम भानपुरा जिला मंदसौर

..... अनावेदक

.....

श्री कैलश जोशी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 अगस्त 2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील भानपुरा जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकों के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदिका ने एक आवेदन दिनांक 17–1–14 को तहसीलदार भानपुरा के समक्ष संहिता की धारा 131, 132 एवं 133 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदिका को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 599 में आवेदकगण करीब दो

वर्षों से आने जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया है इस कारण फसल नहीं बो पा रही है, अतः रूका हुआ रास्ता खुलवाया जाये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–5–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदिका का संहिता की धारा 32 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक सर्वे कमांक 584, 561, 560 की पूर्व मेड पर लगाये गये तारफेसिंग को हटाने के आदेश दिये। तहसीलदार ने बिना मौके का अवलोकन किये मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने के आदेश देने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 131 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। अतः आदेश निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रकरण में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के प्रावधानों के अनुसार में स्वयं स्थल निरीक्षण न कर राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर रास्ता खोलने के अंतरिम आदेश दिये हैं जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 30–5–15 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में स्वयं स्थल निरीक्षण करने के उपरांत एवं आवश्यक साक्ष्य लेकर गुण–दोषों के आधार पर विधिवत आदेश पारित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर